भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2328

गुरूवार, 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक)

जम्मू और कश्मीर में रोजगार सृजन

2328. श्री सत पाल शर्मा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में युवा रोजगार संकेतकों के संबंध में जिला-वार नवीनतम अनुमान क्या हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इस संघ राज्य क्षेत्र में रोजगार के कितने अवसरों का सृजन किया गया है;

(ग) विभिन्न विभागों और एजेंसियों में चल रही और नियोजित भर्ती प्रक्रियाओं की स्थिति क्या है; और

(घ) विशेष रूप से सीमावर्ती और पहाड़ी जिलों में शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार सृजन, कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर राज्य में युवाओं (15-29 वर्ष) के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2019-20 में 18.3% से घटकर वर्ष 2023-24 में 17.4% हो गई है। इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर राज्य में युवाओं (15-29 वर्ष) के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2019-20 में 34.7% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 40.2% हो गया है।

इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर सरकार के श्रम और रोजगार विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार उद्यमिता को बढ़ावा देने, स्वरोजगार के अवसरों की सुविधा प्रदान करने और लोक सेवाओं में पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि

जम्मू-कश्मीर के युवाओं में बेरोजगारी की चुनौती का समाधान किया जा सके। जम्मू और कश्मीर सरकार स्वरोजगार और उद्यमिता संवर्धन योजनाओं की एक श्रृंखला को कार्यान्वित कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर स्वरोजगार योजनाएं (जेकेएसईएस) शामिल हैं, जिनका उद्देश्य आय सृजक इकाइयों की स्थापना के लिए बेरोजगार युवाओं को बैंक ऋण और सब्सिडी सहित वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, मिशन यूथ पहलों (मुमकिन, तेजस्विनी, परवाज, स्पूरिंग एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव और पर्यटन ग्राम विकास कार्यक्रम) आदि सहित कई योजनाओं के तहत रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।

जम्मू-कश्मीर सरकार के श्रम और रोजगार विभाग ने प्रमुख पहल "मिशन युवा" भी शुरू की है, जो स्टार्ट-अप, छोटे उद्यमों और अभिनव आजीविका उद्यमों का समर्थन करके अगले पांच वर्षों में लगभग 4.25 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लक्ष्य के साथ युवाओं के बीच उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहता है। **8** महीने की अवधि के भीतर इसकी शुरुआत के बाद से, स्वरोजगार/उद्यमिता के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लाभार्थियों के बीच 900 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना (जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के युवाओं सहित) सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार देश भर में कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों/ संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करके कौशल भारत मिशन (एसआईएम) का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं (जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के युवाओं सहित) को उद्योग जगत से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

पर्यटन मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रचार कार्यक्रम आयोजित करता है इसमें जम्मू और कश्मीर भी शामिल है। वर्ष 2016-17 के दौरान स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत, हिमालयन सर्किट के तहत जम्मू और कश्मीर में कुल छह परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिनकी स्वीकृत लागत 519.58 करोड़ रुपये थी। ये सभी परियोजनाएं वास्तविक रूप से पूरी हो चुकी हैं। मंत्रालय ने इस योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में संशोधित किया है, जिससे सर्किट-आधारित विकास से स्थायी पर्यटन स्थलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन पहलों से पर्यटकों की संख्या और स्थानीय रोजगार में वृद्धि हुई है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****